झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा

तृतीय– सत्र

वर्ग– 01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 02 भाद, 1937 [श0] / 24 अगस्त, 2015 [ई0] को झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
01–	जन– 01	श्री ताला मराण्डी	विकास कार्यों का प्रचार प्रसार	सूचना एवं जनसम्पर्क	18.08.2015
02–	का– 07	श्री ताला मराण्डी	हिन्दी एवं संताली में एक्ट का प्रकाशन कराना।	कार्मिक	18.08.2015
03–	का– 03	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	सेवा संहिता के तहत् पदस्थापन।	कार्मिक	17.08.2015
04–	का– 01	श्री योगेश्वर महतो	जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना।	कार्मिक	17.08.2015
05–	योवि– 02	श्री साधुचरण महतो	उप कोषागार स्थापित करना।	योजना–सह वित्त	17.08.2015
06–	का– 08	श्री केदार हजरा	प्रोन्नति देकर पदस्थापित करना।	कार्मिक	18.08.2015
07–	ग– 08	श्री फूलचन्द मण्डल	मुआवजा राशि बढाना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	18.08.2015
08–	ग– 07	श्री नागेन्द्र महतो	अनुमंडल कार्यालय का भवन निर्माण।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	18.08.2015
09–	का– 10	श्री विकास कु0 मुण्डा	निर्माण कार्य प्रारंभ कराना	कार्मिक	18.08.2015

(कृ0 पृ0 उ0)

01.	02.	03.	04.	05.	06
10	ग– 03	श्री अशोक कुमार	अग्निकांड से प्रभावितों को आवास मुहैया कराना।	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.08.2015
11	का– 02	श्री साधुचरण महतो	तॉती जाति को अनुसूचित जाति का सुविधा देना।	कार्मिक	17.08.2015
12	योवि– 03	श्री बादल	आवंटन राशि निर्गत करना।	योजना सह– वित्त	18.08.2015
13	ग– 10	श्री कुणाल षड़ंगी	उपकारा में चिकित्सक को पदस्थापित करना।	गृह कारा एव आपदा	18.08.2015
14	ग– 02	श्रीमती जोबा मांझी	कोयना नदी के कटाव को रोकना।	गृह कारा एवं आपदा	17.08.2015
15	का– 06	श्री अमित कुमार	आशुलिपिक एवं लिपिक के रिक्त पदों को भरना।	कार्मिक	18.08.2015
16	म– 01	डॉ0 इरफान अंसारी	लम्बित आश्वासनों को पूरा करना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	18.08.2015
17–	ग– 01	श्रीमती बिमला प्रधान	अतिवृष्टि से प्रभावित गाँवों में सुविधा बहाल करना।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	13.08.2015
18	ग– 04	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	मापदण्ड के अन्तर्गत पुनः पदस्थापन करना।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	17.08.2015
19	ग– 09	श्री कुणाल षड़ंगी	क्षतिपूर्ति करना।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	18.08.2015
20	योवि– 01	श्री जीतू चरण राम	वेतन एवं ग्रेडपे में सुधार।	योजना सह वित्त	13.08.2015
21	का– 11	श्री शिवशंकर उराँव	नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना।	कार्मिक	18.08.2015
22	ग– 05	श्री नागेन्द्र महतो	उपकारा का सृजन करना	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	17.08.2015
23	ग– 13	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	थाना क्षेत्र में सम्मिलित करना।	गृहकारा एवं आपदा	18.08.2015
24	ग– 14	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	स्थायी पुलिस पिकेट बनाना।	गृहकारा एवं आपदा	18.08.2015

(क्र0 पृ0 उ0)

25	का– 05	श्री राज सिन्हा	प्रशिक्षण देकर ग्रेड–पे बढ़ाना।	कार्मिक	18.08.2015
26	ग– 12	श्री केदार हजरा	पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति देना।	गृहकारा एवं आपदा	17.08.2015
27	ग– 06	श्री आलोक कु0 चौरसिया	प्रभावित परिवार को आवास निर्माण करना।	गृहकारा एवं आपदा	17.08.2015
28	का– 09	श्री बिरंची नारायण	संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नियोजित करना।	कार्मिक	18.08.2015
29	का– 04	श्री आलोक कु0 चौरसिया	रिक्त पदों पर पदाधिकारियों का पदस्थापन	कार्मिक	17.08.2015
30	ग– 11	श्री बादल	सम्मानित राशि वृद्धि करना।	गृहकारा एवं आपदा प्रबंधन	18.08.2015

* - 25- 5- 5- प्रस्ताव 2512 दिनांक 21/8/15 द्वारा [illegible]

रॉंची,
दिनांक– 24 अगस्त, 2015 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03 / 15 2374 / वि0स0, रांची, दिनांक– 21/8/2015

प्रति:– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण / मुख्यमंत्री / अन्य मंत्रिगण / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

गिरवरधारी 20/8/15
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

ज्ञापांक– झा0वि0स0(प्रश्न)–03 / 15 2374 / वि0स0, रांची, दिनांक– 21/8/2015

प्रति:– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव, (प्रश्न) के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 20/8/15
उप सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, रॉंची।

सुभाष

(1)

दिनांक 24.08.2015 को श्री ताला मराण्डी माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या –जन–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यक्रमों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं नुक्कड़ नाटक के जरिये बोरियो विधान सभा क्षेत्र के हाट–बाजारों में प्रचार नहीं की जाती है, जिससे विकास के कार्यक्रमों के जानकारी के आभाव में क्षेत्र की जनता सरकारी लाभ लेने से वंचित रह जाती है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार रेडियो, टी.वी., समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से की जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोरियो विधान सभा के हाट–बाजारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं नुकड़ नाटक के माध्यम से सरकारी विकास कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार समय–समय पर करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	राज्य के सभी हाट–बाजारों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक प्रचार वाहनों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार की योजना विचाराधीन है।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक : 2308 / रांची, दिनांक 23-8-15 /

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 2233, दिनांक 18.08.2015 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
निदेशक।

(2)

श्री ताला मराण्डी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला
तारांकित प्रश्न सं0– का0–07 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या माननीय मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि एस.पी. मैनुवल–1911 एस.पी.टी. एक्ट संथाल परगना गजेटियर का प्रकाशन केवल अंग्रेजी में किया गया है,		उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विषय का केवल अंग्रेजी में प्रकाशन होने के कारण स्थानीय लोगों को उनके मातृ भाषा में उपलब्ध नहीं होने के कारण पढ़ने समझने में कठिनाई होती है,		उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इनका प्रकाशन हिन्दी एवं संताली में करने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		विषयगत एस.पी. मैनुवल–1911 एस.पी. टी. एक्ट संथाल परगना गजेटियर का रूपांतरण (प्रकाशन) हिन्दी एवं संथाली में करने से संबंधित मामला कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के नियंत्रणाधीन है। संदर्भित मामले पर कार्रवाई हेतु विभागीय पत्रांक–4012/रा. . दिनांक–21.08.2015 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से पत्राचार किया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के मंतव्य के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–6/वि.स. तारां–24/15 4031 /रा., दिनांक– 22-8-15

प्रतिलिपि :–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2236/वि.स., दिनांक–18.08.15 के क्रम में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(3)

माननीय श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, सं0वि0स0 द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – का–03 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि राज्य सचिवालय के कई विभागों में सचिवालय सेवा के सहायक से लेकर संयुक्त सचिव एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अवर सचिव से संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को प्रोन्नति के पश्चात् भी उसी विभाग में पदस्थापित छोड़ दी गई है.	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड – 01 में वर्णित कई ऐसे पदाधिकारी हैं, जो राज्य के भिन्न–भिन्न विभागों में विगत 10–15 वर्षों से पदस्थापित हैं ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में लागू सेवा संहिता नियमावली अन्तर्गत किसी भी सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को एक विभाग में 03 वर्ष और अधिक से अधिक 06 वर्ष मात्र ही पदस्थापित रहने तथा प्रोन्नति के पश्चात् शीघ्र अन्य विभागों में पदस्थापन का प्रावधान है ?	झारखंड सचिवालय सेवा के पदधारकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति एवं प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 606 दिनांक 15.09.1997 द्वारा निर्धारित है। उक्त संकल्प की कंडिका 2 के प्रावधानानुसार सहायक के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 10 वर्ष एवं प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद पर किसी विशेष विभाग/कार्यालय में पदस्थापन की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष निर्धारित है। साथ ही सरकारी सेवकों के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संख्या 3918 दिनांक 25.10.1980 की कंडिका 2 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक पद पर या किसी विशेष स्थान पर पदस्थापन की अवधि साधारणतः 3 साल रखी गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड – 03 में वर्णित नियमावली के आलोक में खण्ड – 01 में वर्णित वैसे सभी पदाधिकारियों को एक माह के अन्दर चिन्हित कर पदस्थापन का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थानांतरण/पदस्थापन कार्य में पारदर्शिता/सुलभता/सुगम्यता के लिए किया जाता है। स्थानांतरण की कालावधि बाध्यकारी नहीं है, बल्कि इसे साधारणतः/सामान्यतः बताया गया है। सरकार/नियंत्री विभाग आवश्यकतानुरूप कार्यहित में पदाधिकारियों को विभाग में पदस्थापित रख सकता है अथवा स्थानांतरित कर सकता है। विभागों में कतिपय विशिष्ट प्रकृति के कार्यों के लिए कार्यहित में कुछ कनीय पदाधिकारियों को प्रोन्नति उपरांत विभाग में ही पदस्थापित रखा गया है।

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक :– 7/संसदीय कार्य–04/2015 का. 7537/ रांची, दिनांक 20.08.2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 2103 दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.08.15

(अजय त्रिवेदी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–01 का उत्तर प्रतिवेदन। (4)

श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–01 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण था, जो आज भी बिहार में लागू है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद उक्त वर्ग का आरक्षण घटाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है;	स्वीकारात्मक। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद सं0– W.P (P.I.L)– 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य W.P (P.I.L)– 4706/2001 दिनेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत में से विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होगी:– (क) अनुसूचित जाति –10 प्रतिशत (ख) अनुसूचित जनजाति –26 प्रतिशत (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग –14 प्रतिशत (अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एकीकृत बिहार की भांति पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के आधार पर उक्त 27 प्रतिशत आरक्षण सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–27/2015 का0– 1573 /रांची, दिनांक 20/8/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सं0–प्र0–2104 वि0स0 दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/8/2015

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(5)

श्री साधु चरण महतो, मा०स०वि०स० द्वारा चतुर्थ झारखण्ड विधानसभा का तृतीय सत्र/अधिवेशन में दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाल तारांकित प्रश्न संख्या–योवि–2, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत चाण्डिल अनुमंडल में अभी तक उप कोषागार की स्थापना नहीं की गई है?	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित स्थल में उप कोषागार के अभाव में चाण्डिल अनुमंडल क्षेत्र के आमजनों को काफी परेशानी होती है?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
(3.) क्या यह बात सही है कि कोषागार के अभाव में चाण्डिल अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को कोषागार से संबंधित कार्यों के लिए औसतन 80 कि०मी० की दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है?	अस्वीकारात्मक। कोषागार अब कम्प्यूटरीकृत हो चुका है इसलिए सभी विपत्रों के Online निष्पादन से कार्य सुगम हो गया है।
(4.) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत चाण्डिल अनुमंडल मुख्यालय में उप–कोषागार स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में कुल 45 (पैंतालीस) अनुमंडल के लिए 32 कोषागार ही स्थापित हैं।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि•स• (4)– 30/2015..2509/वि० राँची/दिनांक: 21.08.2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2107 वि०स०, दिनांक 17.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव

(6)

श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या का०–08 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्री रामचन्द्र पासवान, उप समाहर्त्ता, 33 वी बैच कोटि क्रमांक– 497/2003 की प्रोन्नति अपर समाहर्त्ता कोटि में वर्ष 2009 से लंबित है;	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि इससे कनीय अभियंता 34 बैच के सामान्य वर्ग के पदाधिकारी श्री पिन्टु मुखर्जी एवं श्री अशोक कुमार सिंह जिसकी अधिसूचना संख्या– 8332 एवं 8333 को क्रमशः प्रोन्नति देते हुए अपर समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापित किया गया है;	स्वीकारात्मक वर्ष 2009 में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु आरक्षण अनुमान्यता के आधार पर अनारक्षित कोटि हेतु उपलब्ध 11 पदों के विरूद्ध श्री पिन्टू मुखर्जी एवं श्री अशोक कुमार सिंह को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई।
3.	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री रामचन्द्र पासवान, उप समाहर्त्ता 33 वी बैच कोटि क्रमांक– 497/2003 को वर्ष 2009 के प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्ष 2009 में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु आरक्षण अनुमान्यता के आधार पर अनुसूचित जाति हेतु 02 पद उपलब्ध थे। श्री रामचन्द्र पासवान, झा०प्र०से०, कोटि क्रमांक– 497/2003 अनुसूचित जाति के पदाधिकारी है। उक्त अनुसूचित जाति हेतु 02 उपलब्ध पदों के विरूद्ध इनसे वरीय अनुसूचित जाति के दो पदाधिकारी क्रमशः श्री शिवजी चौपाल (कोटि क्रमांक– 398/03) एवं श्री राज कुमार चौधरी (कोटि क्रमांक–425/03) को अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 16.12.2009 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई। श्री पासवान से कनीय अनुसूचित जाति के पदाधिकारी को वर्ष 2009 में प्रोन्नति नहीं प्रदान की गई है। अतः प्रावधानानुसार श्री पासवान को वर्ष 2009 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 03/विधानसभा–05–07/2015 का. 7570 / राँची, दिनांक 20 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 2237 वि.स. दिनांक 18.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुमन कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(08)

श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक-24/08/2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग-07 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला स्थित बगोदर/सरिया अनुमंडल कार्यालय का नया भवन का निर्माण नहीं हुआ है,	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि बगोदर/सरिया अनुमण्डल कार्यालय, भवन के अभाव में सरिया प्रखण्ड कार्यालय में संचालित है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगोदर/सरिया अनुमण्डल कार्यालय का नये भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आगामी वित्तीय वर्ष (2016-17) की कार्य योजना में शामिल करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक:- भ03-विधायी-41/15 2639 (भ) रांची, दिनांक- 23-8-15

प्रतिलिपि :-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं०-2108 दिनांक-17/08/2015 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों (दो सौ प्रतियों) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०
23-8-15
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, रांची ।

ज्ञापांक:- भ03-विधायी-41/15 2639 (भ) रांची, दिनांक- 23-8-15

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पाँच-पाँच प्रतियों में/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०
23-8-15
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, रांची ।

(9)

श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० द्वारा दिनांक-24/08/2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० का-10 का उत्तर सामग्री

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची के द्वारा दिनांक-07/04/2015 को 7.10 एकड़ जमीन पर बुण्डू अनुमंडल कार्यालय भवन तथा आवासीय परिसर निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जमीन को चिन्हित करने के पश्चात भी अबतक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त दोनों खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चिन्हित जमीन पर निर्माण कार्य वर्ष 2015 में प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर निर्माण कार्य 15 नवम्बर-2015 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांक:-भ03-विधायी-42/15 2640 (भ) राँची, दिनांक- 23.8.15

प्रतिलिपि :-उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०-2244 दिनांक-18/08/2015 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 प्रतियों (दो सौ प्रतियों) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 23.8.15
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक:- भ03-विधायी-42/15 2640 (भ) राँची, दिनांक- 23.8.15

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग को विधान सभा स्थित कार्यालय कोषांग/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पाँच-पाँच प्रतियों में/उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 23.8.15
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, राँची।

(10)

श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–03 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत खरखादिया के ग्राम–सिलाक (खानीचक) में दिनांक–25.02.2012 को भीषण अग्निकांड में शंकर राम एवं शनिचर राम वगैरह करीब चालीस गरीब परिवारों का घर जलकर राख हो गया था ;	1. स्वीकारात्मक । दिनांक–25.02.2012 को ग्राम–सिलाक (खानीचक) में भीषण अग्निकांड में शंकर राम एवं शनिचर राम वगैरह 40 (चालीस) परिवारों का घर जल गया था। सभी अग्निपीड़ितों को तत्काल राहत हेतु 2,700/– (दो हजार सात सौ) रूपये प्रति परिवार लाभ दिया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि उस अग्निकांड में पीड़ित चालीस परिवारों में चौदह का नाम BPL सूची में अंकित है, जबकि छब्बीस गरीब परिवारों का नाम BPL सूची में अंकित नहीं है ;	2. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है ।
3. क्या यह बात सही है कि उस अग्निकांड में पीड़ित गरीबों को आवास मुहैया नहीं कराई गई है ;	3. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है ।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वैसे गरीब परिवार जिनका नाम BPL सूची में अंकित नहीं है, परन्तु अग्निकांड में उनका सबकुछ जलकर राख हो गया है, उन्हें आपदा प्रबंधन द्वारा आवास मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक–07/गृ०का०आ०(विधायी)–11/2015–987/आ०प्र०, राँची, दिनांक–22/08/2015

प्रतिलिपि– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2109, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा आगामी विधानसभा सत्र में दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–का–02 का उत्तर निम्नवत अंकित है:–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पान जाति के ही उपजाति स्वाँसी, धिक, बराईक, गण्डा, ताँती आदि है एवं एक ही श्रेणी में आते है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पान जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है और अनुसूचित जाति की सुविधा दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि पान जाति के ही उपाजाति ताँती को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधा नही दिया जाता है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ताँती को भी मूल जाति पान के अनुरूप ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखकर, अनुसूचित जाति की सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति के क्रमांक–29 पर अंकित पान, स्वासी के पर्यायवाची के रूप में ताँती (ततवा) का समावेश संबंधी इस राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जबतक कोई जाति/ समुदाय अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में सूचीबद्ध न हो उस जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सुविधा अनुमान्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रषासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–26/2015 का0– 7575 /रांची, दिनांक 21/8/15 2015

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप सं0–प्र0–2105 वि0स0 दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2015

(दिवाकर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

(12)

श्री बादल, स०वि०स० द्वारा दिनांक ~~18~~ 24-08-2015 को पूछे जाने वाले ~~अल्प सूचित~~ तारांकित प्रश्न संख्या–यो० वि०–3, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में योजनामद की राशि को लक्ष्य के अनुसार खर्च करने के उद्देश्य से सभी विभागों द्वारा 30 जून तक योजनाओं की शत्–प्रतिशत् ही स्वीकृति एवं आवंटन आदेश निर्गत कर दिया जाना था । परन्तु इस अवधि में मात्र 30 प्रतिशत ही आवंटन आदेश निर्गत किया गया है ;	स्वीकारात्मक है ।
(2.) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शत्–प्रतिशत् आवंटन आदेश शीघ्र से शीघ्र निर्गत कराने एवं शिथिलता बरतने के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हो तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना मद की शत्–प्रतिशत् राशि व्यय करने के लिए सतत् प्रयत्नशील है ।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–10/वि० स० (4)–31/2015/2518/वि० रॉंची/दिनांक : 21/08/15

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक–2178 वि०स०, दिनांक–18.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.15
(विनोद चन्द्र झा)
सरकार के अपर सचिव ।

(13)

श्री कुणाल षड़ंगी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशीला उपकारा में विगत एक वर्ष से चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त उपकारा में चिकित्सक नहीं रहने के कारण कैदी को समुचित इलाज नही हो पा रहा है एवं सम्प्रति बहुत से कैदी अनेक बिमारी से ग्रसित है ;	अस्वीकारात्मक है। स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को निर्देश दिया गया है कि आवश्यकता अनुरूप उपकारा, घाटशिला में कैदी के उपचार हेतु चिकित्सक उपलब्ध कराया जाय।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त उपकारा में शीघ्र चिकित्सक को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	वर्त्तमान में चिकित्सकों की सेवा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर राज्य के विभिन्न काराओं में पदस्थापित किया जाता है। जिन जिन काराओं में चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं हुआ है वहाँ पर स्थानीय व्यवस्था के तहत संबंधित सिविल सर्जनों के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति की जाती है। कारा चिकित्सकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु नियमावली के गठन की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि०स०–17 / 2015 5165 राँची, दिनांक–22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2239, दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

(84)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–2 का उत्तर प्रतिवेदन

क्रं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर प्रखण्ड कोयना नदी के तेज बहाव से दोनों किनारा काफी कटाव हो रहा है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कटाव से बड़ी आबादी को नुकसान हो सकता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में कोयना नदी के कटाव को रोकने का प्रयास करती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उक्त स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा किया जायगा। क्षेत्रीय कटाव निरोध समिति के अनुशंसा के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–6/ज0स0वि0–20–ता०–84/2015 4507 /राँची, दिनांक– 22.08.15

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक–2112 दिनांक–17.08.2015 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. अभियंता प्रमुख–I जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/8/2015
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(15)

श्री अमित कुमार, स० वि० स० द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–06 का उत्तर सामाग्री।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सचिवालय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आशुलिपिकीय सेवा तथा निम्नवर्गीय लिपिक के कुल 950 पद स्वीकृत है?	झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के अन्तर्गत आशुलिपिक के कुल 391 पद एवं झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के 524 पद स्वीकृत है।
2.	क्या झारखण्ड सचिवालय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आशुलिपिकीय सेवा के पदों के विरुद्ध मात्र 01 अभ्यार्थी की नियुक्ति हुई तथा निम्नवर्गीय लिपिक के पदों के विरुद्ध मात्र 22 अभ्यार्थियों की नियुक्ति की जा सकी है?	स्वीकार है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आशुलिपिकीय सेवा एवं निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के अन्तर्गत आशुलिपिक के 96 पदों एवं झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के 172 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

पत्रांक – 12/वि0स0– 11–01/2015 1518/का0 रांची, दिनांक :–21 अगस्त,2015

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0 2235, दिनांक–18.08.15 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/8/2015

(चन्द्रभूषण प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

(16)

दिनांक– 24.08.2015 को डॉ० इरफान अंसारी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–म०–01 से संबंधित उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पिछले बजट सत्र में दिये गये आश्वासनों में 187 लंबित है;	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को कब तक पूरा करना चाहती है;	सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को राज्य में कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित नियमों / प्रक्रियाओं इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित कर किया जाना अपेक्षित है। अतएव संदर्भित प्रस्तावों / आश्वासनों को राज्य में प्रभावी नियमों / परिपत्रों / प्रक्रियाओं का अनुसरण कर निष्पादित करने में निधि की उपलब्धता तथा क्षेत्रीय संतुलन को दृष्टिपथ में रखते हुए आश्वासनों के अनुपालन में किंचित समय लगना प्रत्याशित है।

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

ज्ञापांक – म०म०स०–05 / वि०स०तारां०–13 / 2015 1442 / रांची, दिनांक– 21-8- 2015 ई०।

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय के ज्ञापांक–2234, दिनांक 18.08.2015 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त छाया प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

(जितबाहन उरांव)
सरकार के अपर सचिव

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–04 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार के ज्ञापांक–748 / राँची, दिनांक–19.02.2008 अंतर्गत राज्य में एस०टी०एफ० पुलिस बल का गठन कर सम्पूर्ण कार्यबल जिला पुलिस तथा ज्ञा०स०पु० में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों तथा अनय कर्मियों से भरने का प्रावधान की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित ज्ञापांक के आलोक में उक्त प्रतिनियुक्तियां सामान्यतः पुलिस पदाधिकारियों हेतु 02 वर्ष तथा अन्य कर्मियों के लिए 03 वर्ष निर्धारित है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। स्वीकृत्योदश ज्ञापांक–748, दिनांक–19.02.2008 द्वारा पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष निर्धारित है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित प्रतिनियुक्तियां समाप्ति के पश्चात पुनः पदस्थापन हेतु माप–दण्ड निर्धारित की जाने के बावजूद उक्त पदाधिकारियों के पदस्थापन में अक्सर काफी मनमानी एवं भेदभाव की जाती रही है ;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2015 में पुलिस मुख्यालय द्वारा की गई सिपाही से लेकर पुलिस उपाधीक्षकों के पदस्थापन सूची की जांच कराकर वैसे सिपाही से लेकर पुलिस पदाधिकारियों को जिन्हें पुनः उग्रवाद क्षेत्र में भेज दी गई है को उक्त माप–दण्ड अंतर्गत पुनः पदस्थापन का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	STF में प्रतिनियुक्ति समाप्ति के पश्चात पुनः पदस्थापन निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का मनमानी एवं भेदभाव नहीं किया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–27 / 2015 5176 / राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2110, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(19)

श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग०–09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अन्तर्गत घाटशीला अनुमण्डल में स्वर्ण रेखा परियोजना घटिया निम्नस्तरीय सामग्री के उपयोग के कारण नहर पानी के कटाव में टूट कर बह गया,	अस्वीकारात्मक। सुवर्णरेखा परियोजना के चाडिल बायी मुख्य नहर के अंतिम छोर (कि०मी० 127.88) से बहरागोड़ा एवं मानुषमुड़िया नामक दो वितरणी निकलती है। बहरागोड़ा वितरणी के कि०मी० 4.457 पर अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप जल प्रवाह के कारण बहड़ागोड़ा वितरणी पर निर्माणाधीन पुलिया से सटे वितरणी का किनारा, जो केवल मिट्टी से निर्मित था, क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिया क्षतिग्रस्त नहीं हुई। इस हिस्से में अभी लाईनिंग का कार्य कराया ही नही गया है। अतः निम्न स्तरीय सामग्री के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। मानुषमुड़िया वितरणी के कि०मी० 3.51 पर बाँयी बाँध को ग्रामीणों द्वारा काट दिया गया था। इससे संबंधित बड़शोल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों क्षतिग्रस्त हिस्सो की मरम्मत करा दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि नहर के टूटने से उक्त गाँव के बहुत से किसानों का फसल बर्बाद हो गया एवं जलमग्न होने के कारण जान–माल की भारी क्षति हुई है,	अस्वीकारात्मक। फसल एवं जान–माल के नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसान एवं निवासी को नहर के टुटने से हुई क्षति की पूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त के आलोक में क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–20–ता०–95/2015 – 4508 /राँची, दिनांक 22.08.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2238 वि०स० दिनांक 18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, चाडिल/ईचा–गालूडीह कॉम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/08/2015

सरकार के उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री जीतू चरण राम, मा०स०वि०स० द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या यो वि० 01 उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के 6th PRC (Pay Revision Committee) के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा गठित फिटमेंट कमिटि ने एलोपैथी चिकित्सकों के समान ही राज्य सरकार के आयुष चिकित्सकों को वेतनमान देने की बात कही है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी 6th PRC (Pay Revision Committee) के संकल्प संख्या 660/वि. दिनांक 28.02.2009 में आयुष चिकित्सकों को वेतनमान 8000–13500/– को आधार न मानकर 6500–10500/– को आधार मानते हुए वेतनमान का निर्धारण 9300–34800/– एवं उनका ग्रेड पे 4200/– रुपया कर दिया गया है? साथ ही आयुष चिकित्सकों को D.A.C.P. (Dynamic Assured Carrere Progression) के लाभ से वंचित रखा गया है?	स्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आयुष चिकित्सकों का वेतनमान 8000–13500/– को आधार मानकर 6th PRC (Pay Revision Committee) में ग्रेड पे 5400/– रुपये करने के साथ राजपत्रित आयुष चिकित्सकों को वेतनमान सुधारने एवं D.A.C.P. (Dynamic Assured Carrere Progression) का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संदर्भित मामले में वेतन विसंगति से संबंधित अपीलीय समिति द्वारा अपीलीय को खारिज किया जा चुका है तथा वादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर LPA No. 428/2013 को भी खारिज किया जा चुका है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक 10/वि०स० (4)–27/2015 2513/वि० रॉंची/दिनांक: 21.08.2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रॉंची के ज्ञापांक 2043/वि०स०, दिनांक 13.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21.8.15

(विनोद चन्द्र झा)
[illegible]

(2)

माननीय श्री शिवशंकर उरांव, स०वि०स० द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–का०–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य निर्माण के बाद से लेकर अबतक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा मात्र पाँच परिक्षाएँ ही आयोजित की गई है। जबकि अबतक कम से कम 14वीं बार लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा चयन परीक्षा आयोजित होना था। परीक्षा नहीं होने के कारण राज्य में विभिन्न विभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अधिकारियों/कर्मियों की नितांत कमी हो गई है। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा नहीं होने से राज्य के सैकड़ों शिक्षित बेरोजगार राज्य की सेवा करने से वंचित हो गए है।</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने गठन वर्ष 2001 से अबतक निम्न प्रकार परीक्षाओं का आयोजन किया गया है–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि</th><th>मुख्य परीक्षा की तिथि</th><th>अनुशंसा की तिथि</th></tr>
<tr><td>01</td><td>प्रथम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>17.08.2003
पुर्न परीक्षा
18.01.2004</td><td>23.06.2005
–
07.07.2005</td><td>31.03.2006</td></tr>
<tr><td>02</td><td>द्वितीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>28.05.2005</td><td>03.02.2007
–
18.02.2007</td><td>15.04.2008</td></tr>
<tr><td>03</td><td>तृतीय संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>17.02.2008</td><td>18.11.2008
–
05.12.2008</td><td>02.08.2010</td></tr>
<tr><td>04</td><td>चतुर्थ संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>23.03.2011</td><td>25.05.2012
–
15.06.2012</td><td>10.12.2012</td></tr>
<tr><td>05</td><td>पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>15.12.2013</td><td>25.05.2015
–
15.06.2015</td><td>——</td></tr>
<tr><td>06</td><td>षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा</td><td>2016
(विज्ञापन प्रकाशित, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–15.09.2015)</td><td>——</td><td>——</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग और सरकार की वर्तमान परीक्षा नीति के कारण हजारों छात्र–छात्राएँ की उम्र सीमा पार हो चुकी है जो वर्तमान में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते?</td><td>कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प सं0–2063 दिनांक–28.04.2006 द्वारा सरकारी सेवाओं में सीधी भर्त्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) के लिए 38 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला) के लिए 40 वर्ष को विभागीय संकल्प सं0–2096 दिनांक–25.04.2011 द्वारा दिनांक–31.12.2015 तक विस्तारित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमित रूप से लोक सेवा आयोग की परीक्षा लेने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>झारखण्ड लोक सेवा आयोग के साथ नियमित बैठकें की जा रही है। उन्हें प्रत्येक वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम पूर्ववर्त्ती वर्ष में जारी किए जाने का अनुरोध विभागीय पत्रांक–5974 दिनांक–06.07.2015 द्वारा किया गया है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11/ वि0स0(ता0प्र0)–06–12/2015 का0......3610........../राँची, दिनांक– 21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञाप सं0–2242 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में दो सौ प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

(22)

श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में एक मण्डल कारा संचालित है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में बगोदर/सरिया, डुमरी एवं खोरी महुआ अनुमण्डल कार्यालय संचालित होने के पश्चात् डुमरी एवं खोरी महुआ अनुमण्डल के मध्य में अवस्थित बगोदर/सरिया अनुमण्डल में उपकारा का सृजन अब तक नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगोदर सरिया अनुमण्डल में उपकारा का सृजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	इन नव सृजित अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय के सृजन के निर्णय के पश्चात उप कारा के सृजन पर निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–16/2015-5163/ राँची, दिनांक–22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2111, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।

(23)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से काफी अधिक है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि तुमांग पंचायत की दूरी खलारी थाना से 06 किलोमीटर है जबकि मैक्लुस्कीगंज थाना मात्र–03 किलोमीटर पर स्थित है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक रहने के कारण अपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण ससमय नहीं हो पाता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। खलारी थाना से तुमांग पंचायत की दूरी अधिक होने के कारण खलारी थाना को आपराधिक गतिविधियों की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है। जिसके कारण अपराधियों पर ससमय नियंत्रण पाने में कठिनाई होती है। तथापि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु खलारी थाना के स्तर से सतत् निगरानी रखी जा रही है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	प्रशासनिक तथा सुरक्षा के दृष्टीकोण से तुमांग पंचायत को खलारी थाना क्षेत्र से विमुक्त कर मैकलुस्कीगंज थाना में सम्मिलित करने हेतु आयुक्त, द० छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से उनके मंतव्य सह अनुशंसा की मांग की गई है। आयुक्त, द० छोटानागपुर प्रमंडल, राँची से अनुशंसा प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत सरकार द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–28 / 2015 5177 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2246, दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.15

सरकार के उप सचिव।

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के खेलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण बाघमरी में अस्थायी पुलिस पिकेट की स्थापना की गयी है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि बाघमरी अस्थायी पुलिस पिकेट को स्थायी पुलिस पिकेट स्थापित करने का मामला वर्ष 2014 से ही विचाराधीन है ;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्थायी बाघमरी पुलिस पिकेट को स्थायी पुलिस पिकेट बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	मैकलुस्कीगंज थाना से बाघमरी की दूरी करीब 5 कि०मी० है। वर्त्तमान में बाघमरी में अस्थायी रूप से कार्यरत पुलिस पिकेट के माध्यम से उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण रखी जा रही है। अस्थायी पुलिस पिकेट की स्थापना के पश्चात उग्रवादी गतिविधियों में कमी आयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–30 / 2015 5178 / राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2245, दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.8.15

सरकार के उप सचिव।

(25)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा अधिवेशन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–05 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में अनुसेवक को ग्रेड पे मैट्रिक उत्तीर्ण को 1800/– रुपये नन मैट्रिक को 1650/– रुपये ग्रेड पे निर्धारित है?	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि नन मैट्रिक को प्रशिक्षण देकर मैट्रिक स्तर का ग्रेड पे देने का प्रावधान झारखण्ड सरकार में है?	अस्वीकारात्मक।
(3.) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या झारखण्ड के नन मैट्रिक अनुसेवकों को प्रशिक्षण देकर मैट्रिक का ग्रेड पे 1800/– रुपये शीघ्र देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नन मैट्रिक को प्रशिक्षण देकर मैट्रिक स्तर का ग्रेड पे देने का प्रावधान झारखण्ड सरकार में नहीं रहने के कारण संदर्भित मामला विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग

ज्ञापांक : 10/वि०स० (4)–32/2015.2512/वि०..... राँची/दिनांक: 21.08.2015

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञापांक 2179/वि०स०, दिनांक 18.08.2015 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद चन्द्र झा)
अपर सचिव

श्री केदार हजरा, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

(26)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री गरीबन पासवान पुलिस निरीक्षक, राँची जिला बल को पुलिस उपाधीक्षक में प्रोन्नति के लिए वर्ष–2012 से ही लंबित है ;	अस्वीकारात्मक। वृहत सजा प्रभावित रहने के कारण श्री पासवान को प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु योग्य नही पाया गया।
2	क्या यह बात सही है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–8823, दिनांक–02.09.2014 में यह आदेश पारित किया गया है कि किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी की प्रोन्नति घटना के तीन वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा जबकि 2005 की घटना को लेकर वर्ष 2012 में श्री पासवान की प्रोन्नति को बाधित किया गया ;	अस्वीकारात्मक। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संकल्प सं०–8823, दिनांक–02.09.2014 द्वारा केन्द्र के अनुरूप निन्दन सजा का प्रभाव 01 (एक) वर्ष तक सीमित किया गया है। जहां तक सजा के प्रभावी रहने का प्रश्न है, सजा का प्रभाव उत्तरव्यापी है। श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सं०–2/12 (घ०ति०–30.12.2011) एवं 11/12, 17/12 तथा 28/12 लंबित रहने के कारण 2012 में इनकी प्रोन्नति से नियुक्ति नही की गई थी एवं दिनांक–30.09.14 को सम्पन्न बैठक में विभागीय कार्यवाही सं०–1/13 (घ०ति०–08.03.12) में संसूचित वृहद दण्ड की अवधि प्रभावी रहने के कारण अयोग्य घोषित किये गये है।
3	क्या यह बात सही है कि श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई संख्या–11/12, 17/12, 28/12, 33/12 में विभागीय पदाधिकारी द्वारा जांच में निर्दोष साबित किया गया है ;	स्वीकारात्मक। उक्त विभागीय कार्यवाही में पारित आदेश जिसमें निर्दोष घोषित किया गया है की स्थिति निम्नवत है :– वि०का०सं०–11/12–आदेश सं०–976/सा०शा०, दिनांक–25.09.14 वि०का०सं०–17/12–आदेश सं०–1653/सा०शा०, दिनांक–18.10.14 वि०का०सं०–28/12–आदेश सं०–1797/सा०शा०, दिनांक–21.11.14 वि०का०सं०–33/12–आदेश सं०–169/सा०शा०, दिनांक–06.02.15
4	क्या यह बात सही है कि श्री पासवान द्वारा दिनांक–12.02.2015 को अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को अपने प्रोन्नति हेतु आवेदन दिया गया परन्तु विभागीय पदाधिकारी के लापरवाही के कारण अब तक प्रोन्नति नहीं दी गई है ;	श्री पासवान की प्रोन्नति से पुलिस उपाधीक्षक पद पर नियुक्ति उनके विरूद्ध वृहत दण्ड प्रभावी होने के कारण अब तक नही हो पायी है।
5	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री गरीबन पासवान को पुलिस निरीक्षक राँची जिलाबल को पुलिस उपाधीक्षक वर्ष 2012 से प्रोन्नति देते हुए पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की जाती है तथा भूतलक्षी प्रभाव से नियुक्ति का कोई प्रावधान नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8003/2015 5175 राँची, दिनांक–23/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2241, दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23.8.15
सरकार के उप सचिव।

(27)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–06 की उत्तर सामग्री

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर, सतबरवा, चैनपुर तथा भण्डरिया प्रखण्डों में अधिक अतिवृष्टि होने के कारण गरीबों का घर क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे लोग प्रभावित हुए हैं ;	1. स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में प्रभावित परिवारों को आवास निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गयी है ;	2. उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–148, दिनांक–19.08.2015 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वर्तमान स्थिति निम्नवत् है :– (i) अंचल पदाधिकारी, चैनपुर के पत्रांक–510, दिनांक–12.08.2015 द्वारा चैनपुर के 133 प्रभावित परिवार एवं अंचल पदाधिकारी, सदर मेदिनीनगर के पत्रांक–790, दिनांक–13.08.2015 के द्वारा 45 प्रभावित परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को पत्रांक–146, दिनांक–18.08.2015 द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है । (ii) अंचल पदाधिकारी, चैनपुर के पत्रांक–476, दिनांक–31.07.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंचायत मंडिगांवां के 142 प्रभावित परिवार एवं पंचायत शाहपुर उत्तरी के 46 प्रभावित परिवारों को 10–10 किलो मुफ्त खाद्यान्न (चावल) तत्काल उपलब्ध कराया गया है ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या अतिवृष्टि से प्रभावित गरीब परिवार को आवास निर्माण कराने हेतु विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?*	3. विभागीय संकल्प संख्या–604, दिनांक–18.05.2015 के आलोक में विभाग द्वारा प्रत्येक जिला को विभिन्न सुसंगत शीर्षों में कुल–25,00,000/– (पच्चीस लाख) रूपये की आवंटन उपलब्ध कराई गई है । विभागीय पत्रांक–968, दिनांक–20.08.2015 के द्वारा उपायुक्त, पलामू को सूचित किया गया है कि उक्त आवंटित राशि में से प्रभावितों को मुआवजा देने हेतु (राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा निर्गत मद एवं मानदण्ड के अनुसार) वे स्वयं सक्षम हैं । तद्नुसार, प्रभावितों को मुआवजा आवंटित कर विभाग को सूचित करने का निदेश दे दिया गया है ।

झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांक:–07/गृ०का०आ०(विधायी)–11/2015–973/आ०प्र०, राँची, दिनांक– 21/08/2015

प्रतिलिपि:–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–2113, दिनांक–17.08.2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय प्रभारी मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(थॉमस डुंगडुंग)
सरकार के अवर सचिव

2nd Session Vidhansabha-33

(28)

माननीय स०वि०स० श्री बिरंची नारायण द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का०–09 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के कई विभागों यथा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग व अन्य विभागों के अन्तर्गत कर्मी संविदा पर कार्यरत है;	इस संबंध में सभी विभागों से सूचना विभागीय पत्रांक–7576 दिनांक–21.08.2015 द्वारा मांगी गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के उक्त विभागों में से कुछ विभाग तो ऐसे हैं, जहाँ पर ये संविदा कर्मी लगातार 5 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर ही कार्यरत है;	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।
3.	क्या यह बात सही है कि संविदा पर कार्यरत होने के कारण इन कर्मियों को सही वेतनमान एवं अनेक तरह की स्थाई नियोजन के समान मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है;	संविदा के आधार पर नियुक्ति वित्त विभाग के प्रावधान के आलोक में की जाती है। संविदा के आधार पर नियुक्ति में स्थायी नियोजन की बात नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संविदा पर कार्यरत ऐसे कर्मियों को स्थाई नियोजन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–57/2015 का०–7614/राँची, दिनांक– 21/08/2015

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2243, दिनांक 18.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.08.15

(भूषण पासवान)
सरकार के अवर सचिव।

(29)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 24.08.2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या का0–04 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में सतबरवा, चैनपुर तथा भण्डरिया प्रखण्डों में कई विभागों में पदाधिकारी नहीं रहने से एक–एक पदाधिकारी को चार–चार विभागों का प्रभार दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। उल्लेखनीय है कि सतबरवा एवं चैनपुर प्रखण्ड पलामू जिला में है तथा भण्डरिया प्रखण्ड गढ़वा जिला में है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मिल जाने के कारण विकास कार्य अवरूद्ध हो गया है, जिससे कई विभागों का कार्य नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। सतबरवा, चैनपुर (पलामू) एवं भण्डरिया (गढ़वा) में पदाधिकारी/पर्यवेक्षक का यदि कोई पद रिक्त है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अतिरिक्त प्रभार के द्वारा विकास कार्यों को ससमय सम्पादित किया जा रहा है। अतः विकास कार्य अवरूद्ध नहीं है। साथ ही रिक्त पदों पर पदस्थापन के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक 7535 दिनांक 20.08.2015 द्वारा सम्बन्धित विभाग को निदेश दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पड़े पदों पर पदाधिकारियों को पदस्थापित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 04/विधानसभा–08–03/2015 का. 7564 / राँची, दिनांक 28 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 2106 वि.स. दिनांक 17.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.8.15

(सुमन कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(30)

श्री बादल, स०वि०स० के द्वारा दिनांक–24.08.2015 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–ग–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत ग्राम प्रधान को सम्मानित राशि के रूप में 1000/– रूपये की राशि प्रदान की जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि मूल रैयत प्रधान को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है जब की उसकी संख्या 345 है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम प्रधान के सम्मानित राशि को बढ़ाने के साथ मूल रैयत प्रधान को भी सम्मानित राशि देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	ग्राम प्रधानों को सम्मान राशि बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। संथाल परगना क्षेत्र के ग्राम प्रधान को ग्रामीण प्रशासन में उनके द्वारा किये जा रहे पुलिस संबंधी कार्यों के लिए सम्मान राशि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाता है। मूल रैयत प्रधानों द्वारा राजस्व कार्य किया जाता है। इनके द्वारा पुलिस संबंधी कार्य नही किये जाने के कारण गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सम्मान राशि नही दिया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–17/वि०स०–92/2015 5166/ राँची, दिनांक–22/08/2015 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2240, दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.8.15

सरकार के उप सचिव।